भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

वित्तीयसेवाएं वभिाग

लोक सभा

तारांकति प्रश्नसंख्या *118

(जसिका उत्तर09 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दयिा जाना है)

सबिलि ऋणात्मक रपिोर्ट

118. श्रीपी॰ आर॰ सुंदरमः
श्रीमतीसुप्रयिासुलेः

क्या वित्तमंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे व्यापारी बहुत ही छोटी देय रकम के भुगतान में चूक के कारण अपनी ऋण सूचना ब्यूरो (इंडयिा) लमिटिड (सबिलि) ऋणात्मक रपिोर्टके कारण अनुमोदति ऋण नहीं प्राप्त करपाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षोंके प्रत्येकवर्षके दौरान ऐसे चूककर्त्ताओंकी संख्या कतिनी है जनिकी अपनी बकाया राशि चुकाने के बाद भी ऋण आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं;

(ग) क्या बड़ी संख्या में छोटे ग्राहकअनजाने में ही चूककर्त्तबन जाते हैं और उन्हें ऋण के अनुमोदन के समय सूचति कयिा जाता है कि उनकी इतनी राशि बकाया है, जो शास्तिके बाद बहुत बड़ी राशि बन जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की केवल मूल बकाया राशि को प्रभारति करने तथा इस प्रकार के बकाया के भुगतान के बाद उन्हें चूककर्ता की सूची से नकिाल कर उनके सविलि स्टेटस को दुरुस्त कर दिए जाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्तमंत्री(श्रीअरुण जेटली)

(क) से (ड.): एक ववरिण सदन के पटल पर रख दयिा गया है।

*****

'सिबिल ऋणात्मक रिपोर्ट' के संबंध में श्री पी. आर. सुंदरम और श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा पूछे गए 09 फरवरी, 2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *118 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड.): उधारदाता उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों के आधार पर अपने वाणिज्यिक निर्णय का प्रयोग करते हैं। ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी), जिनमें ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल लि., पूर्ववर्ती ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लि. शामिल है, से प्राप्त ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) में निहित सूचना, ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया का एक घटक है। किसी ऋण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में शामिल सभी संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए समग्र आधार पर लिया जाता है और यह निर्णय केवल सीआईआर के आधार पर नहीं लिया जाता है तथा इस प्रकार किसी ऋण को अनुमोदित न किए जाने के लिए केवल चूक को कारण नहीं माना जा सकता।

किसी ग्राहक के जानबूझकर या अनजाने में चूककर्ता बनने के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है। आरबीआई ने सीआईसी को इलेक्ट्रानिक फार्मेट की पहुंच, वैसे व्यक्ति जिनका ऋण इतिवृत्त सीआईसी के पास उपलब्ध हो, द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें एक वर्ष में एक निःशुल्क पूर्ण ऋण रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश दिया है।

सीआईसी केवल सीआईआर उपलब्ध कराता है और चूककर्ताओं की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराता है। ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल लि. की रिपोर्टिंग पद्धति के अनुसार अतिदेय राशि, इसमें मूलधन तथा ब्याज राशि शामिल है, को सीआईआर में दर्शाया जाता है और इसमें वैसी कुल राशि को भी दर्शाया जाता है जिसे उधारदाता को समय पर अदा नहीं किया गया हो। इस पद्धति में परिवर्तन करने अथवा इस संबंध में कोई अन्य कदम उठाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

*****